



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2016/अग्रहायण 15, 1938

No. 836]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2016/AGRAHAYANA 15, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.1117(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली -110003 पर भेजे;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत यदि किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है, तो उस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वायुयान नियम, 1937 में,-
(I) नियम 3 ख में, "आदेश की तारीख" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों को अन्तः-स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी एक मामले में दो से अधिक अपीलें दायर नहीं की जा सकेगी";
(II) नियम 6 में, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाए;
(III) नियम 8 क का लोप किया जाए;
(IV) नियम 14 में, परंतुक में "या सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों का लोप किया जाए;
(V) नियम 16 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाए:-

“16 वायु नियम,- प्रत्येक व्यक्ति अभिसमय के उपाबंध-2 के अनुसार महानिदेशक द्वारा जारी वायु नियम का अनुपालन करेगा जैसा उसे लागू हों”;

(VI) नियम 17 में कांस्टेबिल के ओहदे से उच्चतर पुलिस अधिकारी सीमा शुल्क अधिकारी, संघ की नौ सेना, थल सेना या वायु सेना के कमीशंड आफिसर, सिविल विमानन विभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात:-

“उप निरीक्षक के ओहदे से उच्चतर पुलिस अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, संघ की नौ सेना, थल सेना या वायु सेना के कमीशंड अधिकारी, नागर विमानन के किसी राजपत्रित अधिकारी”

(VII) नियम 25 क में, उप-नियम(I) में, “पेट्रोलियम नियम 1937” शब्दों और अंकों के स्थान पर “पेट्रोलियम नियम 2002” शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(VIII) नियम 32 में-

(क) “स्थानीय विमान क्षेत्र अधिकारी” शब्दों के लिए “महानिदेशक ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) परंतुक का लोप किया जाए;

(IX) नियम 38 में, उप-नियम (2) का लोप किया जाए;

(X) नियम 38 क में, उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (क) में, परंतुक में, खंड (iii) में, रात्रि रेटिंग” शब्दों के स्थान पर “उपकरण रेटिंग” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) खंड ‘ख’ में “ज्येष्ठ वाणिज्यिक” शब्दों का लोप किया जाए;

(XI) नियम 38 ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात:-

“38 ख केबिन कर्मीदल का वहन- (1) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान का यात्रियों के लोक परिवहन के लिए तब तक प्रचालन नहीं किया जाए जब तक कि वायुयान पर उन कर्तव्यों का, जिन्हें वायुयान का प्रचालक या समादेशक विमान चालक यात्रियों की सुरक्षा के हित में समनुदेशित न करे, अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में केबिन कर्मीदल नहीं हो, अर्थात-

(क) उस वायुयान के लिए जिसमें कम से कम 20 और अधिक से अधिक 50 यात्रियों के लिए सीटें हैं	एक केबिन कर्मीदल
--	------------------

(ख) उस वायुयान या हेलीकाप्टर के लिए जिसमें 50 से अधिक यात्रियों के लिए सीटें हैं	दो केबिन कर्मीदल और इसके अतिरिक्त 99 यात्रियों की उक्त सीटों से अधिक 50 यात्री सीटों की प्रत्येक इकाई (या इकाई के भाग) के लिए एक केबिन कर्मीदल
--	--

(2) उप-नियम (1) में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, प्रयुक्त हो रहे टाइप वायुयान के वायुयान निर्माता द्वारा यदि कोई उच्चतर संख्या विनिर्दिष्ट की जाती है,

केबिन कर्मीदल की उस न्यूनतम संख्या का अनुपालन किया जाएगा तो परंतु मल्टी एयसल (सिंगल या मल्टी डेक) की दशा में, प्रत्येक तल निकास द्वार तथा प्रमाणन के प्रयोजन कम से कम एक केबिन कर्मीदल के लिए कम से कम एक कर्मीदल सदस्यों हो आपात निकास प्रदर्शन करने के लिए यदि उच्चतर संख्या में केबिन कर्मीदल अपेक्षित हों तो उतनी ही संख्या में वायुयान पर केबिन कर्मीदल लगाए जाएं

(3) (2) केबिन कर्मीदल-

(क) उड़ान भरने और उतरने के दौरान फर्श तल के निकास द्वार के यथासंभव

निकट और

(ख) किसी अन्य समय पर, आपात निष्क्रमण की दशा में यात्रियों के अधिकतम प्रभावी रूप से निकास की व्यवस्था करने के लिए वायुयान में किसी उपयुक्त स्थान पर, अवस्थित रहेंगे।

(4) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि केबिन कर्मीदल का प्रत्येक सदस्य महानिदेशक द्वारा समय पर यथा विनिर्दिष्ट आयु, अर्हता, प्रशिक्षण तथा चिकित्सीय निर्धारण की अपेक्षाएं पूरी करें।

(5) केबिन कर्मीदल का प्रत्येक सदस्य, वायुयान में झूटी पर जाने से पूर्व, प्रशिक्षण का अनुमोदित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करेगा और उसके आपात उपस्कर के उपयोग पश्चात् निकासी प्रक्रिया अवस्थान और उससे संबंधित आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और कोई अन्य अपेक्षा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, को पूरा करेगा।

(6) जब भी किसी उड़ान पर दो या अधिक केबिन कर्मीदल सदस्य समनुदिष्ट किए जाएं, प्रचालक केबिन कर्मीदल के एक अनुभवी सदस्य को केबिन कर्मीदल के ज्येष्ठ सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो कि केबिन की सुरक्षा और प्रचालन निर्देशिका में विनिर्दिष्ट आपात प्रक्रियाओं के संचालन और समन्वयन के लिए समनुदेशक विमान चालक के प्रति उत्तरदायी होगा;

परंतु केबिन कर्मीदल के ज्येष्ठ सदस्य के पास केबिन कर्मीदल के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए और महानिदेशक द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हुआ होना चाहिए।

(7) प्रचालक, उपनियम (5) के अधीन प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात्, प्रत्येक केबिन कर्मीदल द्वारा सुरक्षा और आपात कर्तव्यों का पालन करने में प्रवीणता की जांच कारयेगा और ऐसी जांच महानिदेशक द्वारा अनुमोदित और विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले अनुदेशकों द्वारा की जाएगी।

(8) कोई भी केबिन कर्मीदल तीन किस्म के वायुयानों से अधिक पर झूटी नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण,- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए वायुयानों की किस्में भिन्न प्रकार की किस्में मानी जाएगी यदि वे निम्नलिखित पहलुओं से बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं, अर्थात:-

(क) आपात निकास संक्रिया;

(ख) सुरक्षा उपस्कर की अवस्थिति और उनकी किस्म; और

(ग) आपात प्रक्रियाएं।

(9) महानिदेशक, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपनियम (1) की अपेक्षाओं का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर सकेगा।

(XII) नियम 41 में, पहले परंतुक में "भारतीय थलसेना का विमान प्रचालन स्कंध" शब्दों के स्थान पर "भारतीय थलसेना या भारतीय तटरक्षक बल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(XIII) नियम 41 क में,-

(क) उप-नियम (3) में 'प्रवीणता जांच' तथा 'प्रवीणता' शब्दों के स्थान पर क्रमशः कौशल परीक्षण तथा "कौशल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात:-

"(5) महानिदेशक किसी परीक्षण पायलट परीक्षक या बोर्ड द्वारा संचालित किसी उड्डयन परीक्षण या परीक्षा को अकृत और शून्य घोषित कर सकेगा यदि महानिदेशक की राय में वह परीक्षण या परीक्षा उसको समाधानप्रद रूप से पूरी नहीं की गई है, और वह यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह परीक्षण या परीक्षा फिर से अन्य परीक्षण-पायलट परीक्षक या बोर्ड द्वारा की जाए। महानिदेशक परीक्षण-पायलट या परीक्षक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी कर सकेगा जैसी वह नियम 19 के अधीन ठीक समझता है";

(XIV) नियम 45 के लिए, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"45 विदेशी अनुज्ञप्तियों का विधिमान्यकरण.- यदि अनुज्ञप्ति किसी विदेशी राज्य में सभ्यकतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है और वह तत्समय प्रवृत्त है तो केंद्रीय सरकार उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन और उन अवधियों के लिए जिन्हें वह ठीक समझती है, उस अनुज्ञप्तियों को भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान की उड़ान के प्रयोजनों के लिए वैसे ही विधिमान्यता प्रदत्त करेगी मानो वह इन नियमों के अधीन प्रदान की गई है और इस प्रकार विधिमान्य अनुज्ञप्ति नियम 19 के उपबंधों के अधीन होगी।

टिप्पणी:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 1 के उप-नियम (3) के अधीन आने वाला विदेश में रजिस्ट्रीकृत वायुयान भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के रूप में समझा जाएगा और नियम 1 के उपनियम (4) के अधीन आने वाला भारतीय रजिस्ट्रीकृत वायुयान ऐसे वायुयान के रूप में समझा जाएगा जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

- (XV) नियम 64 का लोप किया जाए;
- (XVI) नियम 67 क में,
- (i) उपनियम (4) में,-
- (क) खंड (क) में "कंपनी या निगम" शब्दों के स्थान पर 'विमान परिवहन उपक्रम' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;
- (ख) खंड (ख) में 'क्लब' शब्द के स्थान पर 'उड़ान प्रशिक्षण संगठन' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;
- (ii) उप नियम (9) में वरिष्ठ वाणिज्यिक शब्दों का लोप किया जाए;
- (iii) उप नियम (13) में "जांच पायलट" शब्दों का लोप किया जाए।

[फा.सं.एवी11012/147/2015-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं0 वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 24 अक्टूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि.997 (अ) की अधिसूचना द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R. 1117(E) .— The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required under section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937, —
 - (I) in rule 3B, after the words "the date of the order", the following words shall be inserted, namely: —
"subject to the condition that not more than two appeals shall be filed in any one case.";
 - (II) in rule 6, the second and third provisos shall be omitted;
 - (III) rule 8A shall be omitted;
 - (IV) in rule 14, in the proviso, the words "or by notification in the Official Gazette" shall be omitted;
 - (V) for rule 16, the following rule shall be substituted, namely: —
"**16. Rules of Air.** — Every person shall comply with the Rules of the Air issued by the Director-General in accordance with Annex 2 to the Convention as may be applicable to that person.";
 - (VI) in rule 17, for the words "any police officer above the rank of constable, any Customs officer, any commissioned officer of the Naval, Military or Air Force of the Union, any gazetted officer of the Civil Aviation Department", the following shall be substituted, namely:-

“any police officer above the rank of sub-inspector, any Customs officer, any commissioned officer of the Naval, Military or Air Force of the Union, any gazetted officer of the Civil Aviation Department in Government of India”;

(VII) in rule 25A, in sub-rule (1), for the words and figures, “the Petroleum Rules, 1937”, the words and figures, “the Petroleum Rules, 2002” shall be substituted;

(VIII) in rule 32, —

- (a) for the words “the local Aerodrome Officer”, the words “the Director-General” shall be substituted;
- (b) the proviso shall be omitted;

(IX) in rule 38, sub-rule (2) shall be omitted;

(X) in rule 38A, in sub-rule (1), —

- (i) in clause (a), in the proviso, in clause (iii), for the words “Night Rating”, the words “Instrument Rating” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), the words “Senior Commercial” shall be omitted;

(XI) for rule 38B, the following rule shall be substituted; namely:-

“38B. Carriage of cabin crew – (1) No aircraft registered in India shall be operated for public transport of passengers unless the following minimum number of cabin crew are on board the aircraft for the purpose of performing such duties as may be assigned in the interest of the safety of passengers, by the operator or the Pilot-in-Command of the aircraft, namely:-

(a)	For an aeroplane or a helicopter having a seating capacity of not less than 20 and not more than 50 passengers.	One cabin crew
(b)	For an aeroplane or a helicopter having a seating capacity of more than 50 passengers.	Two cabin crew plus one cabin crew for each unit(or part of unit) of 50 passenger seats above a seating capacity of 99 passengers

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if any higher number is specified by the aircraft manufacturer for the type of aircraft being used, then that minimum number of crew members shall be carried on-board:

Provided that in case of multi-aisles (single or multi-deck) at least one crew member for each floor level exit and for the purpose of certification, if any higher number of crew member is required to conduct emergency evacuation demonstration then that number of crew member shall be carried on board.

(3) The cabin crew shall be located—

- (a) during take-off and landing as near as possible to the floor level exits; and
- (b) at any other time, at a suitable place in the aircraft, so as to provide the most effective exit of passengers in the event of emergency evacuation.

(4) An operator shall ensure that every member of cabin crew meets the requirements of age, qualification, training and medical assessment as specified by the Director-General from time to time

(5) Every member of cabin crew shall, before being detailed for duty on board the aircraft, successfully complete an approved course of training followed by periodical approved refresher course concerning evacuation procedure, location and use of emergency equipment and any other requirement as specified by the Director-General.

(6) Whenever two or more cabin crew members are assigned to a flight, the operator shall nominate an experienced cabin crew member as a senior cabin crew member who shall be responsible to the Pilot-in-Command for the conduct and coordination of cabin safety and emergency procedure specified in the Operations Manual:

Provided that the senior cabin crew member has a minimum of one year’s experience as cabin crew and has successfully undergone the training as specified by the Director-General.

(7) The operator shall cause checks of proficiency in carrying out safety and emergency duties by each cabin crew after completion of training as per sub-rule (5) and the checks shall be conducted by the Instructors approved, and having qualifications specified, by the Director-General.

(8) No cabin crew shall perform duties on more than three types of aircraft.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, types of aircrafts shall be considered to be different types if they are not similar in all the following aspects, namely:-

- (a) emergency exit operation;
- (b) location and type of safety equipment; and
- (c) emergency procedures.

(9) The Director-General may, if he is of the opinion that it is expedient so to do, by order and for reasons to be recorded in writing, waive fully or partially, the requirement of sub-rule (1).”;

(XII) in rule 41, in the first proviso, for the words “or Air Operational Wing of the Indian Army”, the words, “Indian Army or Indian Coast Guard” shall be substituted;

(XIII) in rule 41A, —

(a) in sub-rule (3), for the words “proficiency checks” and “proficiency”, the words “skill tests” and “skill” shall respectively be substituted;

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The Director-General may declare any flying test or examination conducted by an examiner or a Board, null and void, if in the opinion of the Director-General, the test or examination has not been carried out to his satisfaction, and require the test or the examination to be carried out again by another Examiner or Board and the Director-General may also take such action against the Examiner as he may deem fit under rule 19.”;

(XIV) for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-

“**45. Validation of foreign licences.**- When a licence has been granted by the competent authority in a foreign State and is for the time being in force, the Central Government may, subject to such conditions and limitations and for such periods as it shall think fit, render such licence valid by an authorisation for flying aircraft registered in India and a licence so validated shall be subject to the provisions of rule 19 and such validation of a licence shall cease if the licence is revoked or suspended.

Note:- For the purpose of this rule, foreign aircraft falling under sub-rule (3) of rule 1 shall be deemed as aircraft registered in India and Indian aircraft falling under sub-rule (4) of rule 1 shall be deemed as aircraft not registered in India.”

(XV) rule 64 shall be omitted;

(XVI) in rule 67A,

(i) in sub-rule (4),-

(a) in clause (a), for the words, “Company or Corporation”, the words, “Air Transport Undertaking” shall be substituted;

(b) in clause (b), for the word, “Club”, the words, “Flying Training Organisation” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (9), the words, “Senior Commercial” shall be omitted;

(iii) in sub-rule (13), the words, “or Check Pilot” shall be omitted.

[F.No. AV.11012/147/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and were last amended by vide notification number GSR 994(E), dated the 21st October, 2016.